फैक्स द्वारा

संख्या– 330 /1–11–2015–22(जी)/09

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11

लखनऊः दिनांकः 19 जून, 2015

विषयः–वर्ष 2015 में बाढ़/अतिवृष्टि प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित होते हैं, जिससे फसलों के साथ–साथ सम्पत्ति की भी गम्भीर क्षति होती है। अतः यह आवश्यक है कि पिछले वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ़ जैसी दैवी आपदा तथा उससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पहले से ही तैयारी रखी जाय, ताकि बाढ़ की स्थिति में जन एवं धन की हानि कम से कम हो और पीड़ित व्यक्तियों को अविलम्ब राहत पहॅचाना सम्भव हो सकें।

2– यह भी उल्लेख करना है कि कैपेसिटी बिल्ड़िग प्रोग्राम के अन्तर्गत खोज एवं बचाव सम्बन्धी उपकरण यथा सर्चलाइट, लाइफ जैकेट, लाइफ ब्वाय, मेगा फोन, फोल्डेबुल स्ट्रेचर, फर्स्ट एड किट, सेफ्टी हेलमेट, फायर एक्सटिनग्यूसर, जरीकेन (वाटर कन्टेनर) क्रय करने हेतु समस्त जनपदों को धनराशि स्वीकृत की गयी थी। जनपदों द्वारा खोज एवं बचाव उपकरणों का क्रय भी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदों में कैपेसिटी बिल्ड़िग प्रोग्राम के तहत प्रति जनपद 120 अति संवेदनशील ग्राम पंचायत में प्रति ग्राम पंचायत 50 व्यक्तियों को आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये गये है। इस प्रकार प्रदेश के 9000 ग्राम पंचायतों के 4.50 लाख लोगों को आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के सर्वोधिक बाढ़ प्रभावित 54 ब्लाकों में प्रति ब्लाक 10 होम गार्डों को आपदा से बवाच हेतु प्रशिक्षित किये जाने के साथ उपकरणों से सुसंज्जित भी किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किये गये प्रशिक्षण एवं उपकरण सम्बन्धी संसाधनों का आपदा के समय प्रभावी उपयोग किये जाने हेतु जनपद स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाय।

3– शासन स्तर से किसी जनपद या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है अपितु अपेक्षा यह होती है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य आरम्भ कर दिया जाय। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुॅचाना जिलाधिकारी का दायित्व है। अतः राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिये शासन स्तर से किसी औपचारिक घोषणा के लिये न तो प्रस्ताव भेजा जाय और न घोषणा की अपेक्षा व प्रतीक्षा ही की जाय। आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित बाढ़ का प्रबन्धन करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु एक कार्य योजना बना कर दिनॉक 30 जून,

2015 तक शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय। कार्य योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायः–

(क) बाढ़ के प्रति जनपद की संवेदनशीलता/जोखिम।
(ख) बाढ़ से निपटने व कुशल प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्था।
(ग) बाढ़ से बचाव व न्यूनीकरण की कार्य योजना।
(घ) बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारी।
(ड.) बाढ़ से बचाव हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों, समुदाय व अन्य स्टेट होल्डर्स के क्षमता वर्द्धन/प्रशिक्षण/जागरूकता अभियान।
(च) बाढ़ आने की स्थिति में राहत कार्य के लिये विभागीय योजनायें।
(छ) बाढ़ के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना की योजना।
(ज) बाढ़ से सम्बन्धित कार्य योजना को क्रियान्वित करने में विभागीय विभागों की भूमिका व समन्वय।
(झ) जनपद का मानचित्र, संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण संसाधन/शरणालय सूची, अधिकारियों का दूरभाष नम्बर तथा कार्यदलों का विवरण आदि।

4– बाढ़ चौकियॉ स्थापित किये जाने/सरकारी एवं निजी नाव की व्यवस्था किये जाने, खाद्यान्न एवं चिकित्सा सुविधा की समुचित व्यवस्था, कार्य योजना में सम्मिलित कर ली जाय तथा क्षमता निर्माण यथा प्रशिक्षण, पूर्व तैयारी तथा उपकरणों की समुचित व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा कृपया क्षमता संवर्द्धन हेतु अपने सुझाव राहत आयुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– इस आशय से बाढ़ के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/1–11–2015 तद्दिनॉक।

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बाढ़ की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग–11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम, टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– प्रमुख सचिव,ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

/— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8— प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9— प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10— प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11— प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12— प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13— प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।